भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3014

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

सड़क निर्माण कार्यों में श्रम रोजगार

3014. एडवोकेट प्रिया सरोज:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़क परियोजनाओं के माध्यम से उत्पन्न रोजगार का जिला-वार आंकड़ा क्या है;

(ख) नियोजित स्थानीय मजदूरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला श्रमिकों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या परियोजना स्थलों पर श्रम कानून और मजदूरी मानक लागू किए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दर्ज शिकायतों या उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के माध्यम से किए गए अध्ययन के अनुसार, एक लेन-किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से प्रत्यक्ष रोजगार के रूप में 4,800 कार्य-दिवस और अप्रत्यक्ष रोजगार के रूप में 6,000 कार्य-दिवस सृजित होते हैं।

संबंधित संविदा/रियायत करार के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी प्रासंगिक श्रम कानूनों और मजदूरी मानकों को लागू किया जाता है।

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 5 शिकायतों/उल्लंघनों की सूचना दी गई है।

*****